भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3613

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड की वैधता

3613. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष्मान कार्ड ज्यादातर केवल सरकारी अस्पतालों में ही मान्य है और निजी अस्पतालों में ऐसे कार्डधारकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है तथा वहां यह अप्रभावी हो जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयुष्मान कार्डधारक मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे अस्पतालों को चिह्नित करके उन्हें कठोर दंड देने का कोई उपबंध है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): 19.03.2025 तक, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 13,866 से अधिक निजी अस्पतालों सहित 30,957 सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से 8.9 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती को अधिकृत किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, पैनल में शामिल होने की शर्तों के अनुसार, सार्वजनिक और निजी दोनों ही पैनलबद्ध अस्पतालों को योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान करना अनिवार्य है। पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा उपचार से इनकार किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उपयोग करने में लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियाँ हैं।

लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल, केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केन्द्रीय एवं राज्य कॉल सेंटर (14555), ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पत्र (एसएचए) आदि सहित विभिन्न माध्यमों

का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, उचित मामलों में, धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (जैसे पैनल से हटाना, दोषी अस्पतालों पर जुर्माना लगाना, निलंबन, चेतावनी पत्र जारी करना, एफआईआर दर्ज करना) करने के प्रावधान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के पास उपलब्ध हैं।

निजी अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, जिनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जैसे अस्पताल का निलंबन, चेतावनी पत्र जारी करना और अस्पताल को पैनल से बाहर करना, की गई है, निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पतालों की संख्या
आंध्र प्रदेश	39
असम	1
बिहार	1
चंडीगढ़	2
छत्तीसगढ	4
गोवा	1
गुजरात	5
हरियाणा	7
जम्मू और कश्मीर	42
झारखंड	6
कर्नाटक	49
केरल	8
मध्य प्रदेश	127
पंजाब	11
राजस्थान	10
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	542

नोट: आंकड़े दिनांक 30.11.2024 के अनुसार

*****